



संदर्भ संख्या.रा.बै.मप्र क्षे.का./ 4675 / डीपीएसपी/ डीडीएम – Split AC /2 017-18

दिनांक - 09 फरवरी 2018

महोदय

मध्य प्रदेश राज्य के 26 जिलों में स्थापित जिला विकास प्रबन्धक कार्यालयों में अनुमोदित ब्रांड के एयर कंडीशनर की आपूर्ति,स्थापना तथा शुरू करने हेतु उत्पादको /विक्रेताओ से मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करने की सूचना

- 1) राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक उपर्युक्त विषय पर मध्य प्रदेश राज्य के Annexure-II में दर्शाये गए 26 जिलों में स्थापित जिला विकास प्रबन्धक के आवास सह कार्यालयों में उत्पादको / विक्रेताओ से अनुमोदित ब्रांड के एयर कंडीशनर की आपूर्ति,स्थापना तथा शुरू करने हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिए आपको आमंत्रित करता है। टेंडर दस्तावेज साथ संलग्न है। एयर कंडीशनर लगाने के पश्चात उचित ढंग से सर्विस प्रदान करने के लिए जिले के सर्विस सेट अप की जानकारी प्रदान करें।
- 2) उपरोक्त कार्य को पूरा करने में सक्षम और इच्छुक बोली कर्ताओं से अनुरोध है की अपने प्रस्ताव मुहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत करें।
- 3) निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे 26 जिलों में स्थापित डीडीएम के आवास सह कार्यालयों का दौरा करें और वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करें ताकि किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप से वे अपने आपको पूर्ण रूप से परिचित करा सकें। तत्पश्चात अपनी दरें बताने से पहले नाबार्ड से सभी आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें।
- 4) यह निविदा आमंत्रण सूचना (एन आय टी) हमारी वेब साइट <https://www.nabard.org/Tenders.aspx> से भी डाउन लोड की जा सकती है। वेब साइट पर यह दस्तावेज इसे जमा करने की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।
- 5) निविदा दस्तावेज में यदि कोई विसंगति, चूक, अस्पष्टता पाई जाती है अथवा किसी के भी अर्थ को समझने में किसी प्रकार की शंका हो तो उन्हें मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भोपाल को लिखित रूप में सूचित करें, वे उन प्रश्नों और माँगी गई सूचना जिसे स्पष्ट रूप में नहीं दर्शाया अथवा निर्दिष्ट किया गया हो उनकी समीक्षा करेंगे, और नाबार्ड सभी निविदाकर्ताओं को स्पष्टीकरण जारी करेगा. ये स्पष्टीकरण भी निविदा दस्तावेज का अंश बन जाएंगे. निविदा दस्तावेज में विसंगतियाँ, चूकें, अस्पष्टताएँ अथवा अर्थ को समझने में यदि किसी शंका को निविदा प्रस्तुत करने के तीन कार्य दिवस पूर्व यदि निविदाकर्ता द्वारा नाबार्ड को सूचित नहीं किया जाता है तो नाबार्ड इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
- 6) ऐसी निविदाएं जो नाबार्ड की सभी शर्तों या किसी एक शर्त को पूरा नहीं करती हों अथवा किसी भी प्रकार से अपूर्ण हों अथवा ऐसी निविदाएं जिनमें निविदाकर्ता की अपनी शर्तें हों, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा.
- 7) बोली कर्ता को बयाना राशि (ईएमडी) के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रुपये 18,000 /- (रुपये अठारह हजार मात्र) जमा करना होगा, ऐसा न करने पर कोटेशन रद्द कर दिया जाएगा। बोली कर्ता द्वारा जमा बयाना राशि (ईएमडी)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय

ई 5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल- 462016. टेली: +91 755 2463341 • फ़ैक्स: +91 755 2466188 • ई मेल: bhopal@nabard.org

Madhya Pradesh Regional Office

E-5, Arera Colony, Bittan Market, Bhopal- 462016 • Tel.: +91 755 2463341 • Fax: +91 755 2466188 • E-mail: bhopal@nabard.org

पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोली कर्ता की बयाना राशि (ईएमडी) सफल बोली कर्ता को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात की जाएगी।

- 6) प्रत्येक निविदाकर्ता को टेंडर डाक्यूमेंट के दो सेट दिए जाएंगे, जिसके पार्ट -1 में टेंडर आमंत्रण सूचना, टेंडर कार्यालय, निविदाकर्ताओं को निर्देश, कॉन्ट्रैक्ट की सामान्य व विशेष शर्तें, विस्तृत विवरण होंगे तथा पार्ट -2 के मात्राओं की अनुसूची (Schedule of Quantities) में होंगीं.
- 7) आपके प्रस्ताव निर्धारित टेंडर फार्म में भरकर दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में (जिसके लिफाफे नंबर-1 में टेंडर का कार्य, कॉन्ट्रैक्ट की सामान्य एवं विशेष शर्तों का सहमति पत्र, बयाना राशि का डिमांड ड्राफ्ट, किए जाने वाले AC का Make and Model Number, Brochure, Authorisation certificate of Dealership etc. एवं service details of 26 districts एवं 2 नंबर के लिफाफे में कार्य की देरें होनी चाहिए। लिफाफे नंबर-2 में अन्य कोई शर्त होने पर कोटेशन अमान्य हो जाएगा) मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई), मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016 को संबोधित करें तथा लिफाफे पर ऊपर स्पष्ट रूप से “ डीडीएम के आवास सह कार्यालयों में एयर कंडीशनर की आपूर्ति, स्थापना तथा शुरू करने हेतु निविदा” लिखा होना चाहिए।
- 8) हर प्रकार से पूरी तरह भरा हुआ, मूल्य-युक्त तथा निविदाकर्ता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित मुहर बंद निविदा दस्तावेज़ को दिनांक **2 मार्च 2018** को अपराह्न 03.00 बजे से पहले हमारे क्षेत्रीय कार्यालय की तीसरी मंजिल में DPSP में उपलब्ध टेंडर बॉक्स में डाल दें. कृपया ध्यान दें, देर से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा .
- 9) उपरोक्त निविदा दस्तावेज़ को उसी दिन अर्थात् दिनांक **2 मार्च 2018** को निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहें, की उपस्थिति में **03.30** बजे खोला जाएगा।
- 10) निविदा दस्तावेज़ की वैधता इसे खोलने के बाद 120 दिनों की होगी।
- 11) किसी भी निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप में बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने के सर्वाधिकार नाबाई के पास सुरक्षित रहेंगे और नाबाई सबसे कम मूल्य की या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा. बिना कोई कारण बताए मोल-भाव करने अथवा किसी निविदा को या प्राप्त सभी निविदाओं को आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने के सर्वाधिकार नाबाई के पास सुरक्षित रहेंगे. निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे बाजार भावों और ठेके की अवधि के दौरान लागू मजदूरी प्रभारों आदि के आधार पर उचित (मुनासिब) दरों को कोट करें।
- 12) कुल मूल्य राशि **bill of quantities** में स्पष्ट रूप में अंको व शब्दों में लिखी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में शब्दों में लिखी दरों को ही अंतिम माना जाएगा।
- 13) निविदा दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीकर्ता या उसके यथावत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। किसी भी प्रकार के उपरिलेखन / परिवर्तन/ निरस्तीकरण को हस्ताक्षर एवं मुहर द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित किए जाने चाहिए। निविदा दस्तावेज़ के साथ दस्तावेजों पर हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में पूर्ण मुख्तारनामा की प्रमाणित प्रति होनी चाहिए।



- 14) उपरोक्त कार्य के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं दिया जाएगा तथा सभी डीडीएम कार्यालयों से कार्य निष्पादन संबंधी संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।
- 15) बोली कर्ता को मूल निर्माता कंपनी से प्राप्त प्रमाणपत्र और गूड्स और सर्विस टैक्स प्रमाणपत्र की प्रतियाँ अनिवार्य जमा करानी होगी।
- 16) नाबार्ड द्वारा दरों की संवीक्षा के लिए यदि, आवश्यकता पड़ी तो, निविदाकर्ता को दर विश्लेषण (Rate Analysis) प्रस्तुत करना होगा।
- 17) नाबार्ड अपने विवेक से कार्य को विभाजित करने और उसे एक से अधिक ठेकेदार को बांटने के अपने सर्वाधिकार सुरक्षित रखता है।
- 18) एक प्री बीड बैठक नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में दिनांक 22 फरवरी 2018 को आमंत्रित की जाएगी। बोली कर्ताओं से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लें और जब जरूरी हो, बातों को स्पष्ट करवा लें, इसके बाद किसी स्पष्टीकरण के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 19) लिफाफा संख्या-2 केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो चर्चा के बाद टेण्डर डाक्यूमेंट की अपेक्षानुसार अपने टेण्डर में इस तरह से संशोधन करें जो बैंक को स्वीकार्य हो। इस बारे में, बैंक का निर्णय निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा तथा उस पर कोई सवाल या अपील नहीं हो पाएगी। लिफाफा संख्या-2 को खोलने की तिथि एवं समय लिफाफा संख्या-1 खोलने के बाद सूचित किया जाएगा।
- 20) नाबार्ड के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और इन सभी मामलों में नाबार्ड का निर्णय अंतिम होगा और सभी बोली कर्ताओं के लिए बाध्य होगा।
- 21) निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे निविदा दस्तावेज़ में दर्शाए गए वाणिज्यिक पहलुओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
- 22) सफल निविदाकर्ता को नाबार्ड द्वारा निविदा की स्वीकृति का पत्र / कार्य आदेश जारी किया जाएगा और उन्हें अल्पकालीन सूचना में कार्य आरम्भ कर देना होगा. कार्य आदेश को जारी करने की तारीख से लेकर 60 दिनों के अंदर सभी 26 जिलों में split AC की स्थापना के कार्य को पूरा कर देना होगा.

भवदीय

(एम. आई. खान)

उप महा प्रबन्धक